रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 1993/कार्तिक 5, 1915
No. 640] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 1993/KARTIKA 5, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1993

सं. 54/93 – एन. टी. सीमा शुल्क

का. आ. 823 (अ):– केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/93 एन. टी. सीमाशुल्क, (का. आ. 720(अ), तारीख 27 सितम्बर, 1993 को अधिक्रांत करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां तक उनका संबंध निर्यात माल से है, यह अवधारित करती है कि इसके साथ दी गयी अनुसूची I और अनुसूची II के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी या भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन

के लिए विनिमय दर 1 नवम्बर, 1993 से वह होगी जो स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है :—

अनुसूची—I

क्रम सं.	विदेशी करेंसी	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी करेंसी की एक इकाई की विनिमय दर
1	2	3
1.	आस्ट्रिया के शिलिंग	2.66
2.	आस्ट्रेलिया के डालर	20.95
3.	कनाडा के डालर	22.99
4.	डेनमार्क के क्रोनर	4.62
5.	डूत्से मार्क	18.54
6.	डच गिल्डर	16.51
7.	फ्रांस के फ्रैंक	5.32
8.	हांगकांग के डालर	4.05
9.	मलेशिया के डालर	12.25
10.	नार्वे के क्रोनर	4.26
11.	पौंड स्टर्लिंग	46.31
12.	स्वीडन के क्रोनर	3.85
13.	स्विटजरलैंड के फ्रैंक	21.08
14.	संयुक्त राज्य अमरीका के डालर	31.27
15.	सिंगापुर के डालर	19.93

अनुसूची—II

क्रम सं.	विदेशी करेंसी	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी करेंसी की 100 इकाईयों की विनिमय दर
1	2	3
1.	बेल्जियम के फ्रैंक	85.55
2.	इतालवी लीरा	1.93
3.	जापानी येन	28.75

[फा. सं. 503/11/93 – सी. शु. – 6]

देवेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

NOTIFICATION

NO. 54/93-NT-CUSTOMS

S.O. 823 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 50/93-NT-Customs [S.O. 720(E)] dated the 27th September, 1993, the Central Government hereby determines for the purposes of said section, insofar as these relate to export goods, that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of Schedule I and Schedule II appended thereto into Indian currency or vice-versa shall, with effect from the 1st day of November, 1993 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Foreign currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian Rupees.
1	2	3
1.	Austrian Schilling	2.66
2.	Australian Dollar	20.95
3.	Canadian Dollar	22.99
4.	Danish Kroner	4.62
5.	Deutsche Mark	18.54
6.	Dutch Guilder	16.51
7.	French Franc	5.32
8.	Hong Kong Dollar	4.05
9.	Malaysian Dollar	12.25
10.	Norwegian Kroner	4.26

1	2	3
11.	Pound Sterling	46.31
12.	Swedish Kroner	3.85
13.	Swiss Franc	21.08
14.	U.S. Dollar	31.27
15.	Singapore Dollar	19.93

SCHEDULE-II

Sl. No.	Foreign currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian Rupees.
1	2	3
1.	Belgian Francs	85.55
2.	Italian Lire	1.93
3.	Japanese Yen	28.75

[F.No. 503/11/93-Cus.VI]
DEVENDER SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993